

आवेदन की
तिथि
15.06.2020

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

आवेदन की अन्तिम
तिथि
14.07.2020

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004
ईपीबीएक्स - 91-141-2569696 एक्सटे. : (1015) e-mail : property.jda@rajasthan.gov.in

योजना का नाम :- जविप्रा की आनन्द विहार/सूर्य नगर/खेडा जगन्नाथपुरा आवासीय योजनाओं में
चयनित भूखण्डों पर आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (EWS) हेतु फ्लैट्स

मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 Provision 4A(i) व प्रधानमंत्री आवास योजना-2015 (शहरी) के प्रावधान AHP के अन्तर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (EWS) के निर्माण हेतु प्रस्तावित फ्लैट्स का लॉटरी से आवंटन की सूचना

1. रेरा पंजीयन क्रमांक	तालिका-1 के अनुसार
2. योजना में फ्लैट की संख्या	तालिका-1 के अनुसार
3. योजना में फ्लैट का क्षेत्रफल	तालिका-1 के अनुसार
4. आवंटन दर	रु. 1680.00 प्रति वर्ग फीट
5. आवेदकों द्वारा ऑनलाईन आवेदन	दिनांक 15.06.2020 से 14.07.2020 तक
मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधान संख्या 4(1) के सम्बन्ध में सक्षम स्तर पर लिये गये निर्णय अनुसार योजना में 75% तक या अधिक आवेदन प्राप्त होने पर ही योजना का क्रियान्वयन किया जावेगा। अन्यथा आवेदकों को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण शुल्क राशि रु. 2000/- बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।	
-: 75% तक या अधिक आवेदन आने पर आगे की कार्यवाही निम्न प्रकार होगी :-	
1. आवेदनकर्ताओं की सूची का प्रकाशन	दिनांक 20.07.2020
2. आवेदनकर्ताओं द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करने की अवधि	दिनांक 20.07.2020 से 27.07.2020 तक
3. प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण की अवधि	दिनांक 28.07.2020 से 05.08.2020 तक
4. प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण पर लिये गये निर्णय का प्रकाशन अवधि	दिनांक 05.08.2020 से 07.08.2020 तक
5. पात्र आवेदकों की लॉटरी तिथि, समय, एवं स्थान	दिनांक 14.08.2020 समय प्रातः 11.00 स्थान नागरिक सेवा केन्द्र, जविप्रा परिसर, जयपुर

योजना का ऑनलाईन आवेदन व योजना से संबंधित अधिक जानकारी, नियम, शर्तें व अन्य संबंधित सभी जानकारीयां वेबसाइट <http://jda.urban.rajasthan.gov.in> पर देखी जा सकती है।

प्रस्तावना

मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधान 4A(i) अन्तर्गत जयपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार मे प्राधिकरण की विभिन्न आवासीय योजना में चयनित भूखण्डों पर आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग (EWS) को आवास उपलब्ध करवाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। योजना में आवंटन हेतु फ्लैट्स की कुल संख्या-1448 निर्धारित है, जिनकी संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है। फ्लैट्स का आवंटन लॉटरी पद्धति से किया जावेगा। योजनाओं में आवेदको द्वारा आवेदन फार्म में आवेदक को स्वयं व पति/पत्नी का आधार कार्ड नम्बर का अंकन करना अनिवार्य है।

उक्त फ्लैट मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधान 4A(i) अफोडेबल हाउसिंग इन पार्टनशिप प्रावधान के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा State level Sanctioning & Monitoring Committee द्वारा दिनांक 23.03.2019 में अनुमोदन के पश्चात् भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-2015 (शहरी) के अन्तर्गत Central Sanctioning & Monitoring Committee द्वारा दिनांक 26.03.2018 को अनुमोदित किया जा चुका है। लाभार्थी आवंटियों को फ्लैट की कीमत के भुगतान पश्चात् राशि रु. 1.50 लाख प्रति फ्लैट यूनिट (अनुदान/सब्सिडी) राशि के रूप में प्रात्रता के आधार पर भारत सरकार से सब्सिडी प्राप्त होने पर दी जा सकेगी।

मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधान संख्या 4(1) के सम्बन्ध मे सक्षम स्तर पर लिये गये निर्णय अनुसार योजना मे 75% तक या अधिक आवेदन प्राप्त होने पर ही योजना का क्रियान्वयन किया जावेगा। अन्यथा आवेदकों को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण शुल्क राशि रु. 2000/- बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।

योजना की शर्तें, आवास प्रति इकाई की दर, आवास इकाई के माप आदि बिन्दुओं का उल्लेख आवेदन-पुस्तिका में कर दिया गया है।

अतः उक्त योजना में आवेदन कर लाभ उठावें।

शुभकामनाओं सहित।

अर्चना सिंह (I.A.S.)
सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

टी. रविकान्त (I.A.S.)
आयुक्त
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 Provision 4A(i) आर्थिक दृष्टि से कमजोर (EWS) फ्लैट्स के निर्माण हेतु प्रस्तावित फ्लैट्स का लॉटरी से आवंटन की निर्देशिका

1. योजना का विवरण

तालिका-1

क्र. स.	जविप्रा आवासीय योजना	फ्लैटों की संख्या	योजना का नाम एवं लोकेशन	रेरा पंजीयन क्रमांक	फ्लैट की संख्या	फ्लैट का अनुमानित क्षेत्रफल (सुपर बिल्टप एरिया)	फ्लैट की अनुमानित लागत
1	आनन्द विहार जौन-12	552	भूखण्ड संख्या GH-1 एवं GH-2, आनन्द विहार जविप्रा योजना, अजमेर रोड, जयपुर	RAJ/P/2019/1164	236	455.00 Sqft	765000.00
			भूखण्ड संख्या GH-5 एवं GH-6, आनन्द विहार जविप्रा योजना, अजमेर रोड, जयपुर	RAJ/P/2019/1165	316	444.00 Sqft	746000.00
2	सूर्य नगर जौन-14	512	भूखण्ड संख्या A-9 से A-13, सूर्य नगर जविप्रा योजना, वाटिका रोड, जयपुर	RAJ/P/2019/1167	256	449.00 Sqft	755000.00
			भूखण्ड संख्या A-2 से A-6, सूर्य नगर जविप्रा योजना, वाटिका रोड, जयपुर	RAJ/P/2019/1163	256	449.00 Sqft	755000.00
3	खेडा जगन्नाथपुरा जौन-14	384	भूखण्ड संख्या GH-1 खेडा जगन्नाथपुरा जविप्रा योजना, महल रोड, जयपुर	RAJ/P/2020/1177	384	447.00 Sqft	751000.00

- उक्त फ्लैट मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधान 4A(i) के अन्तर्गत सृजित की गयी है अफोडेबल हाउसिंग इन पार्टनशिप प्रावधान के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा State level Sanctioning & Monitoring Committee द्वारा दिनांक 23.03.2019 में अनुमोदन के पश्चात् भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-2015 (शहरी) के अन्तर्गत Central Sanctioning & Monitoring Committee द्वारा दिनांक 26.03.2018 को अनुमोदित किया जा चुका है। मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधान <http://jda.urban.rajasthan.gov.in> पर देखे जा सकते है।
- भारत सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना-2015 (शहरी) योजना अनुसार सफल आवेदको को रूपये 1.50 लाख (अक्षरें डेढ लाख रूपये मात्र) प्रति फ्लैट अनुदान/सब्सिडी राशि के रूप में प्रात्रता के आधार पर भारत सरकार से सब्सिडी प्राप्त होने पर दी जा सकेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना-2015 (शहरी) के प्रावधान [https:// pmaymis.gov.in](https://pmaymis.gov.in) देखे जा सकते है।
- उक्त फ्लैट्स जविप्रा द्वारा निर्मित करवाये जा रहे है अतः सफल आवंटियों को फ्लैट की कीमत चुकाने के सहयोग हेतु प्राधिकरण द्वारा एक त्रिपक्षीय अनुबन्ध ऋणदात्री बैंक/वित्तीय संस्था के नाम सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा हस्ताक्षर कर जारी किया जावेगा। जिससे आवंटियों को ऋण प्राप्ति मे सुगमता हो सके। प्रधानमंत्री आवास योजना-2015 (शहरी) योजना के चार घटक (वर्टीकल) के माध्यम से लागू किया गया है।

1. "स्व-स्थाने" स्लम पुर्नविकास ("In situ" Slum Redevelopment)

2. क्रेडिट से जुडी सब्सिडी के माध्यम से किफायती आवास (Affordable Housing through Credit Linked Subsidy)
3. भागीदारी से किफायती आवास (Affordable Housing Partnership)
4. लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिए सब्सिडी (Subsidy for beneficiary-led individual house construction.)

उक्त चारो घटकों में से यदि किसी परिवार ने पूर्व में किसी अन्य घटक (Vertical) में अनुदान/सब्सिडी ले रखी है तो ऐसे आवेदक इस योजना में आवेदन नहीं कर सकता है। क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना-2015 (शहरी) योजना की समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश के अनुसार एक लाभार्थी परिवार एक घटक में ही लाभ ले सकता है।

- प्लैट की कीमत चुकाने हेतु लाभार्थी द्वारा किसी बैंक/वित्तीय संस्था से ऋण लिया गया है एवं लाभार्थी के खाते में अनुदान जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा हस्तान्तरित (ट्रान्सफर) कर दी गयी है लेकिन लाभार्थी द्वारा बैंक/वित्तीय संस्था के लोन को चुकाने में असमर्थ होता है एवं आवंटित आवास सक्षम प्राधिकारी जविप्रा द्वारा निरस्त कर दिया जाता है तो अनुदान की राशि ऐसे आवंटी से वसूल कर भारत सरकार को वापिस लौटाई जावेगी।
- एक लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी, अविवाहित पुत्र और/ अथवा अविवाहित लड़कियाँ शामिल होंगे। जिस लाभार्थी परिवार का भारत के किसी भी भाग में अपने नाम पर अथवा उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर अपना पक्का घर नहीं होना चाहिए। वही परिवार इस मिशन के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने का पात्र होगा (प्रधानमंत्री आवास योजना-2015 सबके लिए आवास (शहरी) स्कीम दिशा निर्देश 2015 के बिन्दु संख्या 1.3 के अनुसार)
- स्कीम के अधीन प्रसुविधाओं का लाभ उठाने के इच्छुक प्रत्येक लाभार्थी से यदि लागू हो, स्वयं तथा अपने पति/पत्नी के संबंध में आधार रखने अथवा आधार अधिप्रमाणन का प्रमाण देने की अपेक्षा की जाती है (भारत सरकार के गजट संख्या 5076 दिनांक 26 दिसम्बर, 2018 के अनुसार)
- वर्तमान योजना भागीदारी से किफायती आवास (Affordable Housing Partnership) के अन्तर्गत सृजित की गई है नियमानुसार केन्द्र सरकार प्रति प्लैट 1.50 लाख रुपये (अक्षरे एक लाख पचास हजार रुपये मात्र) की प्रति प्लैट अनुदान/सब्सिडी राशि के रूप में प्रात्रता के आधार पर भारत सरकार से सब्सिडी प्राप्त होने पर दी जा सकेगी। अतः प्रधानमंत्री जन आवास योजना 2015 के अन्य घटक यथा CLSS इत्यादि में सफल आवंटी अन्य सब्सिडी प्राप्त नहीं कर सकेंगे।
- प्लैट का मांगपत्र जारी होने के पश्चात् आवंटी द्वारा राशि स्वयं के साधनों/बैंक/मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त ऋण इत्यादि लेकर चुकाया जाता है तो ऐसे ऋण पर प्रधानमंत्री आवास योजना-2015 (शहरी) के अन्य घटक यथा क्रेडिट से जुडी सब्सिडी योजना (CLSS) के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।

राज्य सरकार की मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधान 4A(i) के अन्तर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (EWS) के लिए जी+3 आवास निर्माण एवं आवंटन के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर अधिनियम के अन्तर्गत सम्बन्धित नियम एवं उपनियमों के तहत प्राधिकरण द्वारा सृजित योजनाओं में चयनित आवासीय भूखण्डों पर बनाये जा रहे प्लैट्स हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं:-

- मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 प्रावधान 4A(i) के अन्तर्गत जविप्रा की आवासीय योजनाओं में तालिका-1 के अनुसार भूखण्ड संख्या पर निर्माण हेतु प्रस्तावित प्लेटों के लिए आवंटन हेतु आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं। मौके पर जी+3 पद्धति से आवासों का निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है।
- जयपुर विकास प्राधिकरण की भूमि पर बनाये जाने वाले उक्त जी+3 मंजिला आवास राज्य सरकार के नगरीय विकास व आवासन विभाग के अधीन जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा

आवंटित किये जाकर निर्धारित कीमत पर सफल आवंटियों को आवंटित किये जायेंगे।

- प्रत्येक सफल आवंटी का प्रधानमन्त्री आवास योजना –2015 (शहरी) के अन्तर्गत HFAPOA (हाउसिंग फॉर ऑल प्लॉन ऑफ एक्शन) पर जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सफल आवंटियों का विवरण भारत सरकार के MIS पोर्टल पर दर्ज करवाया जावेगा।
- सफल आवेदको में विकलांग एवं वरिष्ठ नागरिक होने पर भू-तल का फ्लैट प्रदान करने की प्राथमिकता विचारणीय होगी। लेकिन इसका उल्लेख/विवरण ऑनलाईन आवेदन के समय

ही देना होगा। आवंटन पत्र जारी होने के समय इसके प्रमाण भी दिये जाने होंगे। लॉटरी पश्चात् ऐसे प्रकरणों पर विचार नहीं किया जावेगा।

- निर्माण हेतु प्रस्तावित आवासों में सुपर बिल्ट अप क्षेत्रफल एवं अन्य सुविधाओं का विवरण निम्न प्रकार है:-

विवरण	कमजोर आय वर्ग (EWS) श्रेणी
*निर्मित सुपर बिल्टअप एरिया	444 वर्ग फीट से 455 वर्ग फीट तक

- *निर्मित क्षेत्रफल में फ्लैट्स का प्लिन्थ एरिया, कॉमन सुविधा यथा लॉबी आदि का समानुपातिक क्षेत्रफल एवं बालकनी का 50 प्रतिशत क्षेत्रफल सम्मिलित है।
- आवंटित आवास के कब्जा प्राप्त करने के समय रजिस्ट्री के लिए नियमानुसार मुद्रांक शुल्क देय होगा।(शहरी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है)
(अ) आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग फ्लैट के लिए रूपये 50/- प्रति फ्लैट।
- शारीरिक रूप से विकलांग आवेदकों को भूतल पर फ्लैट आवंटन में प्राथमिकता दी जायेगी।
- राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं नियंत्रण कमेटी (State Level Sanctioning and Monitoring Committee) द्वारा समय-समय पर लिये गये निर्णय मान्य होंगे।
- पात्रता की शर्तें पूर्ण न करने पर या अन्य किसी प्राधिकरण निर्णय, राज्यादेश या शहरी भूमि निस्तारण नियम एवं अन्य प्रचलित विधि से अपात्र व्यक्तियों के आवेदन निरस्त कर दिये जायेंगे एवं पंजीकरण शुल्क राशि जब्त करने के सम्बन्ध में भूमि निष्पादन नियम, 1974 नियम एवं मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के संबंध में राज्य सरकार से जारी आदेश प्रभावी रहेंगे।

तालिका-2

(तिथि अनुक्रम)

1. रेरा पंजीयन क्रमांक	तालिका-1 के अनुसार
2. योजना में फ्लैट की संख्या	तालिका-1 के अनुसार
3. योजना में फ्लैट का क्षेत्रफल	तालिका-1 के अनुसार
4. ऑनलाईन आवेदन करने की अवधि	दिनांक 15.06.2020 से 14.07.2020 तक
- 75% तक या अधिक आवेदन आने पर आगे की कार्यवाही निम्न प्रकार होगी -	
1. आवेदनकर्ताओं की सूची का प्रकाशन	दिनांक 20.07.2020
2. आवेदनकर्ताओं द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करने की	दिनांक 20.07.2020 से 27.07.2020 तक

अवधि	
3. प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण की अवधि	दिनांक 28.07.2020 से 05.08.2020 तक
4. प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण पर लिये गये निर्णय का प्रकाशन अवधि	दिनांक 05.08.2020 से 07.08.2020 तक
5. पात्र आवेदकों की लॉटरी तिथि, समय, एवं स्थान	दिनांक 14.08.2020 समय प्रातः 11.00 स्थान नागरिक सेवा केन्द्र, जविप्रा परिसर, जयपुर
6. विकासकर्ता संस्था का नाम एवं कार्यालय का पता	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर, राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004
7. वेबसाइट/ई-मेल	http://jda.urban.rajasthan.gov.in
8. सम्पर्क मोबाईल नं.	9462569696

2. लॉटरी हेतु आवेदन करने की पात्रता :

- 2.1 आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो। आवेदक की आयु आवेदन करने की तिथि से 18 वर्ष या अधिक होना अनिवार्य हैं।
- 2.2 सफल आवेदको द्वारा आवेदन फार्म में स्वयं एवं पति/पत्नी का आधार कार्ड नम्बर का अंकन करना अनिवार्य है।
- 2.3 आधार कार्ड के अतिरिक्त आवेदक द्वारा निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज की प्रति की आवश्यकता होगी :-
 1. बैंक या डाकघर की फोटो पासबुक।
 2. मतदाता पहचान पत्र।
 3. राशन कार्ड।
 4. किसान फोटो पासबुक।
 5. पासपोर्ट।
 6. मोटर यान अधिनियम 1988
 7. ड्राइविंग लाईसेन्स।
 8. स्थाई लेखा संख्या (पैन कार्ड)
 9. मनरेगा जॉब कार्ड।
 10. सरकार या किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा जारी पहचान पत्र।
 11. राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा जारी पहचान पत्र।
 12. किसी सरकारी शीर्ष नाका पर किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी पहचान पत्र।
 13. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र या सरकारी अस्पताल द्वारा जारी स्वास्थ्य कार्ड
- 2.4 जयपुर विकास प्राधिकरण से आवेदनकर्ता के नाम से गत 10 वर्ष में कोई मकान अथवा भूखण्ड रियायती दर पर प्राधिकरण द्वारा आवंटित नहीं हुआ हो। यदि गत 10 वर्ष में आवेदक ने आवंटन करवाकर भूखण्ड विक्रय कर दिया है तो आवेदन का पात्र नहीं है।
- 2.5 नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राजस्थान सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ.18(36)यू. डी.एच./एन.ए.एच.पी./2014 पार्ट जयपुर दिनांक 03.04.2017 के अनुसार कमजोर आय वर्ग

(EWS) आवेदक की वार्षिक आय, भूखण्ड/फ्लैट का निर्मित क्षेत्रफल इत्यादि निम्नानुसार निर्धारित की हुई है:-

तालिका-3

(देय राशि)

क्र. सं.	विवरण		कमजोर आय वर्ग (EWS) श्रेणी
	(i) फ्लैट	निर्मित सुपर बिल्टअप एरिया	न्यूनतम 444 वर्ग फीट से 455 वर्ग फीट तक
1.	योजना में फ्लैट की संख्या		तालिका-1 के अनुसार
2.	योजना में फ्लैट का क्षेत्रफल		तालिका-1 के अनुसार
3.	(i) परिवार की प्रतिवर्ष सकल आय सीमा (रूपये)		3,00,000 /- प्रति वर्ष
	(ii) आवंटन दर फ्लैट आवंटन दर रू.प्रति वर्ग फिट		1680 /-प्रति वर्ग फिट
	(iii) पंजीकरण राशि प्रति फ्लैट (रूपये में)		2000 /-
4.	शहरी जमाबन्दी		अलग से प्रतिवर्ष अथवा एकमुश्त देय

- 2.6 आवेदक के स्वयं के परिवार की मासिक सकल आय अधिकतम रू. 3.00 लाख (पति,पत्नी एवं आश्रितों की कुल आय) वित्तीय वर्ष **2019-20** (01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक) के आधार पर होनी चाहिए। आवेदकों की आय वर्ग निर्धारण के लिए आय की संगणना आवेदक की सकल मासिक आय के आधार पर की जाएगी। कुल आय में सभी स्रोतों से हुई आय सम्मिलित होगी।
- 2.7 मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के तहत निर्धारित दर 1680 रू. प्रति वर्गफीट (राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.01.2020 के अनुसार पूर्व की दर रू 1600/-प्रति वर्गफीट में 5 प्रतिशत वृद्धि किये जाने पर) के समान रखे जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2021 तक का निर्धारित दर 1680/-रूपये प्रति वर्गफीट में से रूपये 100 प्रति वर्गफीट संबंधित नगरीय निकाय अर्थात् जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा एवं रूपये 50/- प्रति वर्गफिट संधारण मद में रखी जावेगी।
- 2.8 सोसायटी को निवासी कल्याण संघ (आरडब्ल्यूए) को सौंप दिया जाएगा और रखरखाव केवल निवासी कल्याण संघ (आरडब्ल्यूए) द्वारा किया जाएगा, जिसके लिए जेडीए से आरडब्ल्यूए को 50 रुपये प्रति वर्ग फुट प्रति फ्लैट की राशि एकमुश्त दी जाएगी। परिसर के अन्तर्गत आने वाली सभी सुविधा क्षेत्र व सामुदायिक सम्पत्ति का मालिकाना हक जविप्रा का ही रहेगा। योजना के रख-रखाव की सम्पूर्ण जिम्मेदारी परियोजना हस्तान्तरित करने के बाद RWA की रहेगी।
- 2.9 योजनाओं में आवेदन के लिए फ्लैटों में विभिन्न श्रेणियों में आरक्षण निम्नानुसार किया जावेगा। आवेदक किसी एक श्रेणी में ही आवेदन कर सकता है।

तालिका-4

क्र. सं.	जविप्रा आवासीय योजना	फ्लैटों की संख्या	योजना का नाम	राज्य सरकार के विभागों एवं राजकीय उपक्रमों के कर्मचारी	अनु. जनजाति		अनु. जाति		विकलांग		अधिस्वीकृत पत्रकार	सैनिक (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल हैं)			अनारक्षित श्रेणी	कुल
					10%	6%	9%	5%	2%	10%		58%	100%			
					0.6% निराश्रित एवं भूमि विहीन एकल अनु. जनजाति महिलाएं	5.4% सामान्य अनु. जनजाति	0.9% निराश्रित एवं भूमि विहीन एकल अनु. जाति महिलाएं	8.1% सामान्य अनु. जाति	0.5% निराश्रित एवं भूमि विहीन एकल विकलांग महिलाएं	4.5% सामान्य विकलांग		3.33% शहीद सैनिक की विधवा या शहीद की आश्रित (अ)	3.33% सैनिक विकलांग (ब)	3.34% अन्य सैनिक (स)		
1	आनन्द विहार जोन-12	552	भूखण्ड संख्या GH-1 एवं GH-2, आनन्द विहार जविप्रा योजना, अजमेर रोड, जयपुर	24	1	13	2	19	1	11	5	8	8	8	136	236
			भूखण्ड संख्या GH-5 एवं GH-6, आनन्द विहार जविप्रा योजना, अजमेर रोड, जयपुर	32	2	17	3	26	2	14	6	11	11	11	181	316

2	सूर्यनगर जोन-14	512	भूखण्ड संख्या A-9 से A- 13, सूर्य नगर जविप्रा योजना, वाटिका रोड, जयपुर	26	2	14	2	21	1	12	5	9	9	9	146	256
			भूखण्ड संख्या A-2 से A- 6, सूर्य नगर जविप्रा योजना, वाटिका रोड, जयपुर	26	2	14	2	21	1	12	5	9	9	9	146	256
3	खेडा जगन्नाथपुरा जोन-14	384	भूखण्ड संख्या GH-1 खेडा जगन्नाथपुरा जविप्रा योजना, महल रोड, जयपुर	38	2	21	3	31	2	17	8	13	13	14	222	384

- 2.10 आरक्षित वर्ग के आवेदन पत्र पर्याप्त संख्या में प्राप्त नहीं होने पर उस वर्ग के शेष फ्लैटों का आवंटन अनारक्षित श्रेणी के उसी आय वर्ग के आवेदकों को किया जायेगा।
- 2.11 राज्य सरकार/उपक्रमों/राजकीय कम्पनियों की नियमति रूप से चयनित कर्मचारी जो कि वर्तमान में प्रोबेशन पर है वे भी इस हेतु पात्र होंगे, बशर्ते कि आवेदक स्वयं की तथा पति/पत्नि एवं आश्रित की आय के आधार पर निर्धारित श्रेणी/श्रेणियों के अनुसार पात्रता रखता हो।
- 2.12 जो व्यक्ति राजस्थान सरकार/राजकीय विश्वविद्यालय/राज्य के स्थानीय निकायों व राजस्थान सरकार के उपक्रमों के अधीनस्थ कार्यरत हैं उन्हीं को राज्य कर्मचारी के वर्ग में माना जायेगा। ऐसे व्यक्तियों को अपने नियोजक/विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। केन्द्रीय सरकार एवं केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए आरक्षित फ्लैटों के लिये आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे।
- 2.13 अनु. जाति/अनु. जनजाति के सदस्य वह व्यक्ति है, जो राजस्थान की जनगणना में अनु. जाति एवं अनु. जनजाति के रूप में सूचीबद्ध है। ऐसे व्यक्तियों को राजस्थान सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 2.14 विकलांग व्यक्ति वे हैं, जो शारीरिक अयोग्यता के कारण विकलांग हो चुके हैं, तथा राज्य सरकार के प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- 2.15 अधिस्वीकृत पत्रकार वे हैं, जिन्हे राजस्थान सरकार/भारत सरकार की प्राधिकृत संस्था द्वारा अधिस्वीकृत पत्रकार की मान्यता दी गई हो।
- 2.16 सैनिक का अर्थ थल, जल, वायुसेना (बी.एस.एफ., सी.आई.एस.एफ एवं सी.आर.पी.एफ.) में कार्यरत अथवा इन सेवाओं से सेवानिवृत्त कर्मचारी/अधिकारी एवं उनके परिवार में पति, पत्नी/पुत्र व उस पर आश्रितों से है।
- 2.17 आवेदक जिस सैनिक के परिवार के सदस्य होने का कथन करता है उस परिवार से केवल मात्र एक आवेदक ही आवेदन कर सकता है।
- 2.18 सैनिक कोटे में आरक्षित फ्लैटों हेतु सैनिक स्वयं आवेदक होने की स्थिति में उसके परिवार का कोई सदस्य उक्त आरक्षित कोटे हेतु आवेदन का पात्र नहीं होगा।
- 2.19 सैनिक को पूर्व में किसी यू.आई.टी./जविप्रा की किसी आवासीय योजना में आरक्षित कोटे से कोई फ्लैट अथवा भूखण्ड आवंटन होने की स्थिति में वह/परिवार का सदस्य फ्लैट आवंटन हेतु आवेदन के पात्र नहीं होंगे।
- 2.20 मृतक सैनिक के परिवार से केवल परिवार का एक ही सदस्य आरक्षित कोटे हेतु आवेदन कर सकता है। एक से अधिक सदस्यों द्वारा आवेदन करने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जावेंगे।
- 2.21 सैनिक कोटे में आरक्षित फ्लैट हेतु आवेदक को परिशिष्ट प्रारूप अनुसार 50/-रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्रमाणित अतिरिक्त शपथ पत्र संलग्न करना आवश्यक है। सैनिक श्रेणी (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल है।) के लिये आरक्षित फ्लैटों का आवंटन उनके मध्य निम्नांकित प्राथमिकता के आधार पर किया जावेगा। इसके लिये सम्बन्धित श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण पत्र लगाया जाना आवश्यक है।
- (अ) उन सैनिकों की विधवाये एवं आश्रित जिनकी मृत्यु देश की सीमा की रक्षा करते हुये हुई हो। (बी.एस.एफ.,सी.आई.एस.एफ एवं सी.आर.पी.एफ.) (उन कार्मिकों की विधवाये एवं आश्रित जिनकी मृत्यु ड्यूटी निष्पादन के दौरान हुई हो।)
- (ब) विकलांग सैनिक (बी.एस.एफ., सी.आई.एस.एफ एवं सी.आर.पी.एफ.)
- (स) अन्य सैनिक (बी.एस.एफ., सी.आई.एस.एफ एवं सी.आर.पी.एफ.)

3. आवेदन की सामान्य शर्तें व जानकारी :-

- 3.1 योजना में आवेदन करने हेतु प्रक्रिया शुल्क रू. 500/- व निर्धारित पंजीकरण शुल्क 2000/- के साथ ऑनलाईन जमा कराना होगा।
- 3.2 एक पात्र आवेदक फ्लैट्स निर्माण के लिये प्रस्तावित योजनाओं में से एक ही योजना में आवेदन कर सकेगा।
- 3.3 आवेदक द्वारा एक ही आवेदन पत्र के माध्यम से अपने आय वर्ग सीमा एवं आरक्षित श्रेणी में आवेदन किया जा सकेगा। **एक ही व्यक्ति द्वारा एक से अधिक रजिस्ट्रेशन नम्बर से अलग-अलग आवेदन करने पर, सभी आवेदन निरस्त कर सम्पूर्ण जमा राशि जब्त कर ली जावेगी।**
- 3.4 योजना के लिए निर्धारित पंजीकरण राशि 2000/- आवेदन के साथ देय होगी। लॉटरी में योजना के फ्लैट्स के अन्तर्गत किसी भी क्षेत्रफल का फ्लैट आवंटन होने पर, आवंटी के लिए बाध्य होगी/होगा।
- 3.5 पंजीकरण राशि एवं प्रक्रिया शुल्क का भुगतान ऑनलाईन के माध्यम से जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग इत्यादि के माध्यम से या नकद ई-मित्र कियोस्क पर जमा कराकर किया जा सकता है।
- 3.6 राज्य सरकार एवं जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/नियम योजना के फ्लैट आवंटन पर भी लागू होंगे।
- 3.7 सफल आवेदकों को भविष्य में किसी भी स्तर पर किसी प्रकार का कानूनी विवाद होने, अपरिहार्य कारणों से अथवा नीतिगत निर्णय के कारण यदि लॉटरी से आवंटित फ्लैट का भौतिक कब्जा दिया जाना संभव नहीं हो पाये तो प्राधिकरण द्वारा बदले में किसी प्रकार से कोई फ्लैट आवंटित नहीं किया जाएगा। लेकिन सफल आवेदक द्वारा फ्लैट के पेटे जमा राशि लौटा दी जावेगी।
- 3.8 आवेदनकर्ता को आवेदन पत्र में मोबाईल नम्बर देना अनिवार्य हैं। आवेदन फार्म में अंकित मोबाईल नम्बर पर OTP Verification के उपरान्त ही आवेदन फार्म भरा जा सकेगा।
- 3.9 आवेदक यह सुनिश्चित करें कि बैंक खाता आवेदक के स्वयं के नाम हो एवं बैंक खाता संख्या एवं आई.एफ.एस.सी. कोड सही एवं खाता चालू स्थिति में हो। असफल आवेदक का बैंक खाता संख्या सही नहीं होने की स्थिति में पंजीकरण राशि के गलत बैंक खाते में हस्तान्तरित होने पर जविप्रा की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- 3.10 संयुक्त नाम से आवेदन मान्य नहीं है लेकिन संयुक्त नाम के खाते में प्रथम नाम के आवेदक के आवेदन को मान्य किया जा सकेगा।
- 3.11 असफल आवेदको को पंजीकरण राशि का रिफण्ड आवेदक के बैंक खाते अथवा जिस माध्यम से प्राप्त हुआ है उसी माध्यम से Online ही वापस कर दिया जायेगा।
- 3.12 आवेदन पत्र में फ्लैट के लिए वार्षिक आय वर्ष-2019-20 के आधार पर एवं आरक्षित श्रेणी में आवेदन किया जा सकेगा।
- 3.13 ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से आवेदन करने पर ई-मित्र कियोस्क को निर्धारित पंजीकरण राशि एवं प्रक्रिया शुल्क रू. 500 जमा कराने के लिए ई-मित्र कियोस्क को निम्नानुसार अतिरिक्त राशि देय होंगी:-

#	Name of Service	RISL Charges
1	Filling of application form with numbers of attributes according to JDA service (without any document) and providing receipt of JDA.	Rs. 21.00
2	Collection of payment against the demand generated by JDA and providing receipt of JDA.	
a	Upto Rs. 5000.00	Rs.11.00
b	Between Rs. 5001.00 To 25000.00	Rs. 27.00
c	Between Rs. 25001.00 To 50000.00	Rs. 53.00
d	Between Rs. 50001.00 To 500000.00	Rs. 105.00

- Inclusive of GST

- 3.13 तकनीकी कारणों से Online आवंटन-मांग पत्र आवेदन असफल होने की स्थिति में, पुनः ऑनलाईन आवेदन करने पर, यदि प्रथम बार किया गया आवेदन तकनीकी कारणों से आवेदन सफल हो जाता है, तो प्रथम आवेदन को लॉटरी में सम्मिलित करते हुये द्वितीय सफल आवेदन को लॉटरी में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।
- 3.14 लॉटरी में सफल आवेदक को निर्धारित राशि आवंटन-मांग पत्र जारी होने की तिथि से आवंटन-मांग पत्र अनुसार निर्धारित अवधि में नकद/बैंक ड्राफ्ट/ऑनलाईन द्वारा सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के नाम से प्राधिकरण परिसर स्थित या जयपुर शहर स्थित किसी भी आई.सी.आई. सी.आई. बैंक शाखा में संबंधित योजना के खातों में सम्पूर्ण राशि जमा करानी होगी।
- 3.15 फ्लैट की सम्पूर्ण राशि जमा होने के बाद लीजडीड आवश्यक रूप से निष्पादित करानी होगी।
- 3.16 फ्लैट का कब्जा प्राधिकरण द्वारा, कब्जा पत्र जारी होने की तिथि से 15 दिवस में संबंधित कनिष्ठ अभियन्ता से संभालना होगा।
- 3.17 आवंटन में शहरी भूमि निस्तारण नियम-1974 के प्रावधान एवं समय-समय पर जारी राज्य सरकार के आदेश प्रभावी होंगे।
- 3.18 "आवंटित फ्लैट केवल "आवासीय" उपयोग में लिया जा सकेगा, अन्य किसी प्रयोजन में नहीं।
- 3.19 किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त जविप्रा का निर्णय अन्तिम होगा।
- 3.20 किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद के संबंध में न्यायिक क्षेत्राधिकार जयपुर ही होगा।
- 3.21 आवेदन पत्र के साथ अग्रिम राशि प्राप्त होने मात्र से, प्राधिकरण इस योजना में फ्लैट आवंटन करने हेतु किसी भी रूप में कानूनी तौर पर बाध्य नहीं होगा।
- 3.22 राज्य सरकार/प्राधिकरण द्वारा, बिना सूचना दिए फ्लैट के आवंटन की शर्तें बदलने पर आवेदक को कोई आपत्ति नहीं होगी।
- 3.23 आवेदनकर्ता जो आयकर विवरणिका भरते हैं उन्हें आई.टी.आर. की प्रति/फार्म 16 तथा पैन कार्ड का विवरण भी आय प्रमाण पत्र में अंकित करना होगा।
- 3.24 निर्धारित प्रपत्र में ही तैयार किया गया आय प्रमाण पत्र स्वीकार किया जाएगा। वेतन स्लिप एवं अन्य प्रपत्र मान्य नहीं होंगे, ऐसे आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे।
- 3.25 योजनाओं में उपलब्ध फ्लैटों की संख्या में कमी/वृद्धि की जविप्रा की वेबसाइट पर प्रकाशित की जावेगी। सफल आवंटी द्वारा आवंटित फ्लैट का क्षेत्रफल घोषित क्षेत्रफल से अधिक होने की दशा में अधिक क्षेत्रफल की राशि देय होगी।
- 3.26 आवेदनकर्ता आवेदन करते समय यह सुनिश्चित करें कि बैंक खाता आवेदक के स्वयं के नाम हों एवं आवेदनकर्ता का बैंक खाता संख्या एवं आई.एफ.एस.सी. कोड सही व स्वयं के नाम से चालू स्थिति में हो। आवेदक आवेदन करते समय अपना नाम (जैसा बैंक खाते में हो), बैंक खाता संख्या (पूर्ण अंको सहित) तथा IFSC Code, बैंक का नाम एवं ब्रांच का स्पष्ट रूप से उल्लेख करें। **संयुक्त नाम से खाता संख्या मान्य नहीं होगा।**
- 3.27 राज्य सरकार या स्थानीय निकाय समय-समय पर जो भी कर/किराया आदि तय करती हैं वह इस आवंटन पर भी लागू होगा। आवंटी पर राज्य सरकार एवं जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर प्रसारित नियम/आदेश भी लागू होंगे।
- 3.28 योजनाओं में उपलब्ध फ्लैटों की संख्या में कमी की जा सकती है। जिसकी सूचना जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जावेगी।

4. आवेदन करने की प्रक्रिया :

- 4.1 फ्लैटों के लिए आवेदन जविप्रा की वेबसाइट www.jda.urban.rajasthan.gov.in के माध्यम से ऑनलाईन या ई-मित्र कियोस्क केन्द्रों के माध्यम से ही स्वीकार किये जायेंगे।

4.2 आवेदनकर्ता के बैंक खाता संख्या, बैंक एवं शाखा का नाम व बैंक शाखा का IFSC Code का स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना चाहिये।

4.3 ऑनलाईन आवेदन करने पर प्रक्रिया शुल्क एवं पंजीकरण राशि का भुगतान - Net Banking, Credit Card, Debit Card के माध्यम से किया जा सकेगा।

5. अन्तिम सूची का प्रकाशन :

अन्तिम सूची जारी किये जाने से पूर्व आपत्ति हेतु दर्ज आवेदनों की सूची जविप्रा वेबसाईट पर प्रकाशित की जावेगी जिस पर की आपत्तियां लिखित तौर पर निर्धारित समय तक मुख्य भवन, कमरा संख्या-128 जविप्रा, जयपुर में दर्ज करवायी जा सकेगी। आपत्तियों पर निर्णय के उपरान्त अन्तिम सूची का प्रकाशन जविप्रा वेबसाईट पर उपलब्ध होगा आपत्ति निस्तारण पश्चात लॉटरी द्वारा आवंटन किया जावेगा।

6. लॉटरी में सफल होने पर आवंटन प्रक्रिया :

6.1 लॉटरी में सफल आवेदक को आवंटित प्लैट की राशि समय पर जमा नही कराने की दशा में प्लैट निरस्तीकरण की प्रक्रिया अपनाई जावेगी।

6.2 लॉटरी में सफल हुए आवेदकों को जविप्रा की वेबसाईट के माध्यम से भरा हुआ फार्म डाउनलोड किये जाने की सुविधा उपलब्ध होगी। सफल आवेदको को दस्तावेजों के साथ जमा कराये जाने वाले आवेदन पत्र को डाउनलोड से पूर्व ऑनलाईन आधार वेरिफिकेशन करना होगा। प्रार्थी द्वारा डाउनलोड किए गये फार्म पर निर्धारित स्थान पर वर्तमान फोटो तथा हस्ताक्षर के साथ लॉटरी में सफल हुए आवेदक निम्नलिखित प्रमाण पत्र/दस्तावेज लॉटरी की तिथि से 21 दिवस के अन्दर जविप्रा, जयपुर के कार्यालय में जमा करवाना आवश्यक होगा अन्यथा लॉटरी में खुले प्लैट का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

- शपथ पत्र (निर्धारित प्रपत्र में) एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र (समस्त आवेदकों के लिए),
- जन्म तिथि का प्रमाण पत्र (वोटर आई.डी./झाइविंग लाईसेंस/पासपोर्ट/ अंकतालिका आदि में से कोई भी)
- आवेदक को स्वयं एवं पति/पत्नी के आधार कॉर्ड की प्रमाणित प्रति प्राधिकरण के जोन कार्यालय दस्वावेज जमा कराते समय आवश्यक रूप से जमा करानी होगी।
- सकल वार्षिक आय वित्तीय वर्ष 2019-20 (अथवा जो वित्तीय वर्ष लागू हो) को प्रमाण पत्र (बिना कटौती के), (स्वयं,पति/पत्नी एवं आश्रित की आय को सम्मिलित करते हुए), (समस्त आवेदकों के लिए)
- आरक्षित श्रेणी के सफल आवंटी को संबंधित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रमाणित/सत्यापित प्रति यथा-Govt.Employee/SC/ ST/ Handicap/Accredited Journalist/ Soldier
- आधार कार्ड के अतिरिक्त आवेदक द्वारा निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज की प्रति की आवश्यकता होगी :-
 - बैंक या डाकघर की फोटो पासबुक।
 - मतदाता पहचान पत्र।
 - राशन कार्ड।
 - किसान फोटो पासबुक।
 - पासपोर्ट।
 - मोटर यान अधिनियम 1988
 - झाइविंग लाईसेन्स।

- स्थाई लेखा संख्या (पैन कार्ड)
- मनरेगा जॉब कार्ड।
- सरकार या किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा जारी पहचान पत्र।
- राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा जारी पहचान पत्र।
- किसी सरकारी शीर्ष नाका पर किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी पहचान पत्र।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र या सरकारी अस्पताल द्वारा जारी स्वास्थ्य कार्ड

6.3 प्राधिकरण द्वारा आवश्यक दस्तावेजों की जाँच करने के उपरान्त पात्र आवेदकों को मांग पत्र जारी किये जायेंगे। मांग पत्र जारी होने की तिथि से फ्लैट की कीमत मांगपत्रानुसार निर्धारित तिथियों में प्राधिकरण को जमा करवानी होगी।

6.4 निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं होने की स्थिति में नियमानुसार राशि मय ब्याज जमा कराई जा सकती है किन्तु ब्याज आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से देय होगा।

7. असफल आवेदकों को प्रशासनिक शुल्क की वापसी :

7.1 लॉटरी में असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि का रिफण्ड ऑनलाईन बैंकिंग के माध्यम या अन्य माध्यम से आवेदक द्वारा भरे गये आवेदन फार्म के बचत खाता संख्या व IFSC Code में NEFT के माध्यम से जविप्रा द्वारा हस्तान्तरित की जावेगी।

8. फ्लैट आवंटन की शर्तें :-

8.1 लॉटरी में सफल आवेदकों को फ्लैट की राशि जमा कराने हेतु तदर्थ (Provisional) आवंटन सह मांग पत्र जारी किया जायेगा।

8.2 फ्लैट निर्माण के पश्चात् एवं फ्लैट की सम्पूर्ण राशि जमा होने के पश्चात् ही कब्जा पत्र एवं लीज-डीड जारी किये जायेंगे।

8.3 भारत सरकार की प्रधानमन्त्री आवास योजना-2015 (शहरी) योजना अनुसार सफल आवेदको को रूपयें 1.50 लाख (अक्षरें डेढ लाख रूपयें मात्र) प्रति फ्लैट अनुदान/सब्सिडी राशि के रूप में प्रात्रता के आधार पर भारत सरकार से सब्सिडी प्राप्त होने पर दी जा सकेगी। जो कि लाभार्थी द्वारा पूर्ण भुगतान होने के पश्चात् दी जावेगी।

8.4 फ्लैट 99 वर्ष की लीज पर आवंटी के व्यय पर आवंटित किया जायेगा एवं आवंटी के व्यय पर ही लीज डीड का निष्पादन समस्त राशि जमा होने पर एवं समस्त शर्तों को पूरा करने पर आवंटी के व्यय पर पंजीयन कराया जायेगा। उसके पश्चात् ही फ्लैट का भौतिक कब्जा दिया जायेगा।

8.5 प्राधिकरण की पूर्वानुमति के बिना फ्लैट का किसी भी रूप में आवंटन की तिथि से 10 वर्ष तक हस्तान्तरण प्रारम्भ से ही शून्य एवं अवैध (ab initio void) होगा और ऐसे क्रेता के प्रति प्राधिकरण का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। ऐसे क्रेता एवं विक्रेता दोनों फ्लैट में बेदखली के उत्तरदायी होंगे और बिना किसी अतिरिक्त प्रतिकार के फ्लैट का आधिपत्य प्राधिकरण प्राप्त कर सकेगा। 10 वर्ष की अवधि में केवल विरासत का नामांतरण किया जा सकेगा।

8.6 नियमानुसार देय शहरी जमाबंदी वर्तमान आरक्षित दर की 2.5 (ढाई प्रतिशत) प्रतिवर्ष देय होगी। प्रथम वर्ष की शहरी जमाबंदी राशि कब्जा पत्र जारी होने की तिथि से अग्रिम जमा करानी होगी। यदि आवंटित 2.5 (ढाई प्रतिशत) की दर से आठ साल की एकमुश्त रकम जमा कराता है तो भविष्य में 99 वर्ष तक के लिए शहरी जमाबंदी राशि जमा कराने की आवश्यकता नहीं होगी। जो कि निम्न तालिका अनुसार है आवेदक स्वेच्छा से प्रतिवर्ष अथवा एकमुश्त शहरी जमाबन्दी (लीज)

राशि जमा करवा सकते हैं। यदि आवेदक द्वारा आठ वर्ष की शहरी जमाबन्दी (प्रथम वर्ष शामिल करते हुये) एकमुश्त जमा कराने पर प्लैट 99 वर्ष के लिए मुक्त किया जा सकेगा :-

तालिका-5

(शहरी जमाबन्दी विवरण)

क्र.स.	जविप्रा जोन संख्या	योजना का नाम	2.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष वार्षिक	शहरी जमाबंदी (एकमुश्त)
1	12	भूखण्ड संख्या GH-1 एवं GH-2, आनन्द विहार जविप्रा योजना, अजमेर रोड, जयपुर	4914	39312
2	12	भूखण्ड संख्या GH-5 एवं GH-6, आनन्द विहार जविप्रा योजना, अजमेर रोड, जयपुर	4822	38576
3	14	भूखण्ड संख्या A-9 से A-13, सूर्य नगर जविप्रा योजना, वाटिका रोड, जयपुर	3184	25472
4	14	भूखण्ड संख्या A-2 से A-6, सूर्य नगर जविप्रा योजना, वाटिका रोड, जयपुर	3184	25472
5	14	भूखण्ड संख्या GH-1 खेडा जगन्नाथपुरा जविप्रा योजना, महल रोड, जयपुर	5701	45608

8.7 आवंटन में प्राप्त प्लेट केवल आवासीय उपयोग में लिया जायेगा, प्लेट में आवंटी किसी प्रकार का अनाधिकृत निर्माण नहीं करा सकेगा एवं न ही अन्य कोई अनाधिकृत/वाणिज्यिक उपयोग करेगा। इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर जविप्रा, जयपुर आवास आवंटन निरस्त करने के समस्त अधिकार होंगे।

8.8 आवेदक को आवंटित मकान का कब्जा लिये जाने के पश्चात् एक वर्ष की अवधि में आवंटित आवास में निवास करना अनिवार्य होगा अन्यथा आवंटित मकान निरस्त कर दिया जायेगा।

8.9 राज्य सरकार या स्थानीय निकाय समय-समय पर जो भी कर/किराया आदि तय करती है वह इस आवंटन पर भी लागू होगा। आवंटी पर राज्य सरकार एवं जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर प्रसारित नियम/आदेश भी लागू होंगे।

8.10 संबंधित जोन उपायुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित प्लेटों की लीज डीड जारी की जावेगी।

8.11 नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा इस संबंध में जारी विभिन्न पॉलिसी आदेश, परिपत्र इत्यादि के उक्त योजना के आवंटन में लागू रहेंगे।

8.12 प्लैट का भुगतान निम्न चरणों में किया जाना है :-

क्र.स.	चरण	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (EWS)
1	प्लैट की कुल कीमत	तालिका-1 के अनुसार
2	प्लैट का सुपर बिल्टअप एरिया	तालिका-1 के अनुसार
3	मानचित्र शुल्क (अतिरिक्त)	100.00 रु.

4	एक वर्ष की शहरी जमाबन्दी (अग्रिम) 2.5%	तालिका-5 के अनुसार
5	पंजीकरण राशि (पूर्व जमा) समायोजित की जावेगी।	2000.00
6	आवंटन पत्र जारी तिथि से 30 दिवस में जमा योग्य	20000.00
7	आवंटन पत्र जारी तिथि से 60 दिवस में जमा योग्य	20000.00
8	आवंटन पत्र जारी तिथि से 90 दिवस में जमा योग्य	50000.00
9	आवंटन पत्र जारी तिथि से 120 दिवस में जमा योग्य	50000.00
10	आवंटन पत्र जारी तिथि से 150 दिवस में जमा योग्य	50000.00
11	आवंटन पत्र जारी तिथि से 180 दिवस में जमा योग्य	50000.00
12	आवंटन पत्र जारी तिथि से 210 दिवस में जमा योग्य	50000.00
13	आवंटन पत्र जारी तिथि से 240 दिवस में जमा योग्य	50000.00
14	आवंटन पत्र जारी तिथि से 270 दिवस में जमा योग्य	50000.00
15	आवंटन पत्र जारी तिथि से 300 दिवस में जमा योग्य	50000.00
16	आवंटन पत्र जारी तिथि से 330 दिवस में जमा योग्य	50000.00
17	आवंटन पत्र जारी तिथि से 360 दिवस में जमा योग्य	50000.00
18	आवंटन पत्र जारी तिथि से 390 दिवस में जमा योग्य	50000.00
19	आवंटन पत्र जारी तिथि से 420 दिवस में जमा योग्य	50000.00
20	आवंटन पत्र जारी तिथि से 450 दिवस में जमा योग्य	50000.00
21	आवंटन पत्र जारी तिथि से 480 दिवस में जमा योग्य	50000.00
22	आवंटन पत्र जारी तिथि से 510 दिवस में जमा योग्य	शेष राशि तालिका-1 की गणना अनुसार

बैंक/मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थाओं से ऋण हेतु आवास आवंटन एवं मांग पत्र को अनापत्ति प्रमाण पत्र माना जावे।

नोट:-

- उक्त फ्लैट मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधान 4A(i) एवं प्रधानमंत्री जन आवास योजना-2015 (शहरी) अफोडेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप हाउसिंग फॉर ऑल (AHP) प्रावधान के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा State level Sanctioning & Monitoring Committee द्वारा दिनांक 23.03.2019 से अनुमोदन पश्चात् भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री जनआवास योजना-2015 (शहरी) के अन्तर्गत Central Sanctioning & Monitoring Committee में दिनांक 26.03.2018 को अनुमोदित की जा चुकी है।
- भारत सरकार की योजना अनुसार सफल आवेदको को 1.50 लाख रुपये प्रति फ्लैट अनुदान/सब्सिडी राशि के रूप में राजस्थान अरबन ड्रिकिंग वाटर, सीवरेज एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर

कॉरपोरेशन लिमिटेड (RUDSICO) के माध्यम से जयपुर विकास प्राधिकरण को प्राप्त होने पर आवंटियों के खातों में प्राधिकरण द्वारा सीधे ही हस्तान्तरित किया जावेगा।

- सफल आवेदक द्वारा आवंटन पत्र प्राप्ति के पश्चात् निर्धारित अवधि में फ्लैट की सम्पूर्ण राशि जमा करवा दी जाती है तो जमा की पुष्टि के पश्चात् केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान राशि ऋण दाता बैंक/वित्तीय संस्था अथवा आवंटी द्वारा स्वयं के स्रोत से मांग राशि जमा करवायी जाती है तो संबंधित आवंटी के बैंक खाते में प्राधिकरण द्वारा सीधे ही हस्तान्तरित कर दी जावेगी।

- (1) पंजीकरण शुल्क, मानचित्र शुल्क एवं एक वर्ष की अग्रिम जमाबंदी राशि अतिरिक्त देय होगी।
- (2) सुपर बिल्टअप क्षेत्रफल में आंशिक परिवर्तन होने पर लागत उसी अनुपात में परिवर्तित हो सकती है।

8.13 लॉटरी में सफल आवेदक द्वारा शपथ-पत्र/आवेदन पत्र में कोई गलत सूचना दिये जाने पर या कोई तथ्य छिपाने पर आवेदक का पंजीकरण तुरन्त रद्द कर दिया जायेगा एवं जमा पंजीकरण राशि जब्त कर ली जावेगी यदि आवास का आवंटन हो चुका हो तो जविप्रा, जयपुर ऐसे आवंटन को रद्द करने तथा आवास का कब्जा वापिस लेने के लिए सदैव सक्षम होगी।

8.14 वस्तुओं के चोरी चले जाने से बचने की दृष्टि से निम्नांकित फिटिंग/फिक्सचर आदि का कार्य आवंटी को कब्जा देने की वास्तविक तारीख से एक माह के भीतर पूर्ण कर दिया जायेगा। कब्जा दिये जाने के पश्चात् समस्त जिम्मेदारी आवंटी की होगी। विद्युत फिटिंग/फिक्सचर/सेनेटरी फिटिंग/फिक्सचर

8.15 उपरोक्त फ्लैट की सम्पूर्ण लागत राशि निर्धारित अवधि में जमा होने पर एवं परियोजना के पूर्ण होने पर (विकास कार्य सहित) ही फ्लैट के पंजीयन एवं कब्जा दिये जाने की कार्यवाही की जावेगी।

8.16 यदि गलत तथ्यों के आधार पर आवेदक फ्लैट आवंटन करवाने में सफल हो जाता है एवं आवंटन जारी होकर फ्लैट की कीमत जमा पश्चात् भी यदि कोई तथ्य गलत पाया जाता है तो क्षेत्रीय उपायुक्त द्वारा आवंटी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देकर आवंटी के गलत तथ्यों के आधार पर आवंटन का दोषी पाये जाने पर आवंटन निरस्त कर जमा सम्पूर्ण राशि जब्त कर फ्लैट का कब्जा संबंधित जोन उपायुक्त द्वारा ले लिया जावेगा।

8.17 किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद के संबंध में न्यायिक क्षेत्राधिकार जयपुर ही होगा।

8.18 सभी आवंटियों को तालिका संख्या-8.12 में दर्शाये अनुसार देय राशि निर्धारित अवधि में जमा कराना अनिवार्य है। आवेदक देय किश्त/मांग राशि जमा नहीं करवाता हैं तो प्राधिकरण द्वारा आवंटन स्वतः निरस्त मानते हुये समस्त राशि जब्त कर ली जावेगी।

8.19 उपरोक्त शर्तें एवं अन्य कोई शर्तें जो समय-समय पर राज्य सरकार या विकास प्राधिकरण द्वारा अधिरोपित हो समय-समय पर विधि विभाग द्वारा प्रदत्त नियमों को स्वीकार करने हेतु प्रत्येक आवंटी बाध्य होगा।

8.20 किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयुक्त जविप्रा का निर्णय अंतिम होगा।

8.21 मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधान संख्या 4(1) के अनुसार योजना में 75 प्रतिशत आवेदन प्राप्त होने पर ही योजना का क्रियान्वयन किया जावेगा। अन्यथा आवेदकों को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण शुल्क राशि रु. 2000/- बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।

9. Online आवेदन करने सम्बन्धी शर्तें :-

9.1 On-line आवेदन 500/- आवेदन शुल्क के साथ आवेदन प्राधिकरण वेबसाईट

<http://jda.urban.rajasthan.gov.in> पर जाकर किया जा सकेगा।

- 9.2 पात्र आवेदक (Eligible Applicant) द्वारा विधिवत भरे हुए आवेदन-पत्र EWS फ्लेट के लिए रूपये 2000/- पंजीकरण शुल्क (लॉटरी में सफल न होने पर राशि वापस लौटाई जाएगी) On-line आवेदन किया जा सकेगा।
- 9.3 लॉटरी के लिये पात्र व्यक्तियों की सूची प्राधिकरण नोटिस बोर्ड पर सर्वसाधारण के सूचनार्थ लगाई जायेगी एवं प्राधिकरण वेबसाइट <http://jda.urban.rajasthan.gov.in> पर अपलोड भी की जायेगी।
- 9.4 पंजीकरण राशि एवं प्रक्रिया शुल्क का भुगतान ऑनलाईन के माध्यम से जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग इत्यादि के माध्यम से या नकद ई-मित्र कियोस्क पर जमा कराकर किया जा सकता है।
- 9.5 आवेदनकर्ता को आवेदन पत्र में मोबाईल नम्बर देना अनिवार्य हैं। आवेदन फार्म में अंकित मोबाईल नम्बर पर OTP Verification के उपरान्त ही आवेदन फार्म भरा जा सकेगा।
- 9.6 तकनीकी कारणों से Online आवेदन असफल होने की स्थिति में, पुनः ऑनलाईन आवेदन करने पर, यदि प्रथम बार किया गया आवेदन तकनीकी कारणों से आवेदन सफल हो जाता है, तो प्रथम आवेदन को लॉटरी में सम्मिलित करते हुये द्वितीय सफल आवेदन को लॉटरी में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।
- 9.7 पात्र आवेदकों की ऐसी सूची में से लॉटरी के जरिये सफल आवेदकों का चयन होगा एवं लॉटरी में सफल व्यक्तियों को उनके द्वारा आवेदन पत्र में अंकित डाक के पते पर आवंटन मांग पत्र जारी किये जायेंगे। ऐसी सूचना के निर्धारित दिवस के अन्दर मांग पत्र राशि प्राधिकरण, में जमा करानी होगी।
- 9.8 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा योजना के आवेदन पत्रों की जांच में निरस्त आवेदन पत्रों के आवेदकों की सूची जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर की वेबसाइट पर अवलोकनार्थ जारी की जावेगी। योजना से सम्बन्धित जानकारी समय-समय पर प्राधिकरण की वेबसाइट पर प्राधिकरण द्वारा लिये जाने वाले निर्णय/निर्देश और सूचनाओं को उपरोक्त वेबसाइट <http://jda.urban.rajasthan.gov.in> पर प्रकाशित किया जायेगा। कृपया आवश्यक सूचनाओं हेतु उक्त वेबसाइट का अवलोकन समय-समय पर करते रहें।

10. फ्लैट्स के आवेदन फार्म निरस्त करने से संबंधित बिन्दू :

- 10.1 आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन करने के पश्चात् लॉटरी से पूर्व आवेदन-पत्र आहरित (वापस) नहीं लिया जा सकेगा। अतः आवेदनकर्ता से अपेक्षित है कि आवेदन निश्चयः पश्चात् ही आवेदन किया जावे।
- 10.2 एक से अधिक आई.डी. से आवेदन करने, एक से अधिक खाता संख्या से आवेदन करने तथा एक से अधिक मोबाइल नम्बर से आवेदन करने पर सभी आवेदन निरस्त कर दिये जावेगे तथा सम्पूर्ण राशि जब्त कर ली जावेगी।
- 10.3 यदि आवेदन आय वर्ग के अनुरूप न किया गया हो।
- 10.4 आवेदक द्वारा निर्धारित आरक्षित श्रेणी हेतु प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किये जाने पर।
- 10.5 आवेदन पत्र में गलत तथ्य (यथा मोबाईल नम्बर एवं बैंक खाता संख्या व आई.एफ.एस.सी. कोड इत्यादि देने पर)।
- 10.6 अवयस्क व्यक्ति द्वारा आवेदन करने पर।
- 10.7 संयुक्त नाम से आवेदन करने पर।
- 10.8 राज्य सरकार के आदेश दिनांक 01.04.15 एवं 12.08.15 के अनुसरण में ईडब्ल्यूएस/एलआईजी

पलैटों एवं भूखण्डों के आवंटन के संबंध में राज्य सरकार की मंशा सही एवं पात्र व्यक्तियों को उचित कीमत पर आवास सुविधा उपलब्ध करवाने की है, जिसके लिए आवेदकों द्वारा ऑनलाईन आवेदन फार्म में स्वयं का सही तथ्यात्मक एवं विधि सम्मत् विवरण दिया जाना आवश्यक है।

- 10.9 लॉटरी के पश्चात् लॉटरी में सफल आवेदकों के पात्रता की जाँच की जावेगी जिसमें गलत तथ्य पाये जाने पर लॉटरी में आवंटित पलैट् निरस्त कर आवंटित पलैट् का भौतिक कब्जा वापिस ले लिया जावेगा।
- 10.10 यदि गलत तथ्यों के आधार पर आवेदक यदि पलैट् आवंटन करवाने में सफल हो जाता है। एवं आवंटन जारी होकर पलेट की कीमत जमा पश्चात् भी यदि कोई तथ्य गलत पाया जाता है तो उपायुक्त द्वारा आवंटी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देकर आवंटी के गलत तथ्यों के आधार पर आवंटन का दोषी पाये जाने पर आवंटन निरस्त कर जमा सम्पूर्ण राशि जब्त कर पलैट् का कब्जा ले लिया जावेगा।
- 10.11 यदि कोई आवेदक लॉटरी से पूर्व/आवंटन सह मांग पत्र जारी होने के बाद पंजीकरण निरस्त करवाना चाहता है तो प्रक्रिया शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क देय नहीं होगा। आवेदक को पंजीकरण निरस्त करवाने हेतु आवेदन करना अनिवार्य होगा।

6. अन्य महत्वपूर्ण शर्तें :

- 11.1 पलैट् 99 वर्ष की लीज पर आवंटित किए जावेंगे तथा पलेट की लीज डीड जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी की जावेगी।
- 11.2 आवंटित पलैट् का प्राधिकरण द्वारा आवंटी के नाम आवंटित पलैट् का आवंटन सह मांगपत्र तैयार कर उपलब्ध करवाया जावेगा।
- 11.3 आवंटी को लीज डीड पंजीयन का खर्च स्वयं वहन करना होगा तथा उसके पश्चात् ही पलैट् का भौतिक कब्जा प्राधिकरण द्वारा दिया जायेगा।
- 11.4 राज्य सरकार के संबंधित विभागों द्वारा मांग किये जाने पर आवंटी को सम्पत्ति पर समस्त करों का भुगतान करना होगा जैसे आवास सम्पत्ति कर, नगर निगम कर, विकास कर, लीज राशि इत्यादि।
- 11.5 राजस्थान सरकार नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 23.02.2016 के अनुसार आवंटित पलैट् का आवंटी द्वारा 10 वर्ष की अवधि तक विक्रय अथवा हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है अतः जविप्रा, जयपुर द्वारा भी हस्तान्तरण नहीं किया जावेगा। ऐसे प्रकरण ध्यान में आने पर आवंटी को सुनवाई का अवसर देकर आवंटन रद्द कर पलैट् का कब्जा जविप्रा, जयपुर अथवा स्थानीय निकाय(जैसी भी स्थिति हो) द्वारा ले लिया जावेगा।
- 11.6 आवंटन में प्राप्त पलैट् केवल आवासीय उपयोग में लिया जा सकेगा। आवास में आवंटी किसी प्रकार का अनाधिकृत निर्माण नहीं करा सकेगा एवं न ही अन्य कोई अनाधिकृत/वाणिज्यिक उपयोग करेगा। इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर राज्य सरकार/स्थानीय निकाय को आवास का आवंटन निरस्त करने के समस्त अधिकार होंगे।
- 11.7 आवासीय इकाई (पलैट्) से संबंधित सामान्य क्षेत्रों के उपयोग, मरम्मत, देखभाल तथा सम्मिलित सेवाओं जैसे जीना, आहाते की दीवार, बगीचे, खुले स्थान इत्यादि के प्रयोग तथा रख-रखाव के लिये प्रत्येक आवंटी को आवंटियों की एक पंजीकृत संस्था का सदस्य होना अनिवार्य होगा। इस संस्था का गठन राजस्थान सरकार के नियमों तथा उपनियमों के अनुसार होगा। आवासों का कब्जा इसी शर्त पर दिया जावेगा एवं उपरोक्त नियमों का पालन किया जायेगा। रख रखाव का खर्चा सोसायटी के माध्यम से आवंटी द्वारा वहन किया जावेगा। भविष्य में सोसायटी द्वारा नियमित रख-रखाव हेतु मांगी गई राशि आवंटी द्वारा जमा कराई जावेगी। सोसायटी का गठन आवंटियों द्वारा करवाया जावेगा।
- 11.8 पलैट् का कब्जा प्राप्त करने के पश्चात् एक वर्ष की अवधि में पलैट् में निवास अनिवार्य होगा अन्यथा राज्य सरकार/स्थानीय निकाय को ऐसे पलैट्स का आवंटन निरस्त करते हुए कब्जा स्वतः प्राप्त कर अन्य पात्र व्यक्तियों को आवंटन का पूर्ण अधिकार होगा।

(समस्त आवेदकों के लिए)

मैंपुत्र/पत्नि/पुत्री

आयु..... निवासी

..... शपथ पूर्व घोषणा करता/करती हूँ कि

- (1) एक लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी, अविवाहित पुत्र और/अथवा अविवाहित लड़कियाँ शामिल होंगे। जिस लाभार्थी परिवार का भारत के किसी भी भाग में अपने नाम पर अथवा उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर अपना पक्का घर नहीं होना चाहिए। वही परिवार इस मिशन के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने का पात्र होगा (प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास (शहरी) स्कीम दिशा निर्देश 2015 के बिन्दु संख्या 1.3 के अनुसार) तथा मैं राजस्थान का/की मूल (बोनाफाईड) निवासी हूँ।
- (2) यह कि आवेदन पुस्तिका को मैंने ध्यान, पूर्वक पढ़ लिया है तथा मैं अपने आय वर्ग अनुसार निर्धारित श्रेणी में ही आवेदन कर रहा/रही हूँ, जिस हेतु आवेदन प्रमाण पत्र जब भी मुझसे मांगे जावेंगे मैं पेश कर दूँगा/कर दूँगी।
- (3) यह कि मैंने सामान्य/आरक्षित श्रेणी (राजस्थान राज्य कर्मचारी/ सैनिक/ अनु0जाति/ अनु0जनजाति/विकलांग/अधिस्वीकृत पत्रकार) में आवेदन किया है जिसकी मैं पात्रता रखता/रखती हूँ। इस सम्बन्ध में प्रमाण पत्र जब भी मुझसे मांगे जावेगे, मैं प्रस्तुत कर दूँगा/कर दूँगी।
- (4) उक्त वांछित प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में मुझे आवंटित प्लैट निरस्त किया जा सकेगा।
- (5) प्राधिकरण की किसी भी आवासीय योजना में विगत 10 वर्षों में कोई भूखण्ड/प्लैट मेरे (स्वयं पति/पत्नि तथा किसी आश्रित के नाम भूखण्ड/मकान आवंटित नहीं हुआ है।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

घोषणा

मैं पुत्र/पत्नि/पुत्री श्री

शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ, कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर मेरे विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता (IPC) अनुसार संबन्धित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

आय प्रमाण-पत्र

(गैर वेतन भोगी/निजी व्यवसाय/निजी वेतन भोगी आवेदकों के लिए)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री
पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री जाति निवासी.....
..... तहसील.....जिला
राज्य की स्वयं पत्नि/पति एवं आश्रित की सकल मासिक आय रु0.....
..... प्रतिमाह हैं एवं मेरा पैन नम्बर हैं।

हस्ताक्षर आवेदक

घोषणा

मैं पुत्र/पत्नि/पुत्री श्री शपथ
पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ, कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही
है। गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर मेरे विरुद्ध **भारतीय दण्ड संहिता(IPC)** अनुसार संबन्धित
प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

आय प्रमाण-पत्र (निजी वेतन भोगी आवेदकों के लिए)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री
पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री इस कम्पनी/फर्म में
..... पद पर कार्यरत हैं। इनकी सकल मासिक आय रु0 प्रतिमाह है।

दिनांक :
स्थान :

कम्पनी/फर्म प्रमाणिकर्ता
के हस्ताक्षर मय मोहर

आय प्रमाण-पत्र (वेतन भोगी आवेदकों के लिए)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री
पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री इस विभाग में
. पद पर कार्यरत हैं एवं ये केन्द्र/राजस्थान सरकार अथवा केन्द्र/राजस्थान सरकार के उपक्रम
की नियमित कर्मचारी हैं। इनकी सकल मासिक आय रु0 प्रतिमाह है।

दिनांक :
स्थान :

विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
के हस्ताक्षर मय मोहर
विभाग/उपक्रम का नाम

अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों हेतु प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री
पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री निवासी.....
.....जिला सम्भाग.....
.....राज्य जाति के सदस्य है जो कि अनुसूचित जाति/जनजाति (सूची)
संशोधन अधिनियम 1956 के अन्तर्गत राजस्थान की अनुसूचित जाति/जनजाति में शामिल हैं।

हस्ताक्षर

तहसीलदार

(कार्यालय की मोहर सहित)

उक्त निर्धारित प्रमाण पत्र सम्बन्धित कार्यालय से जारी करने का संदर्भ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति

**सैनिक/सैनिक पर आश्रित एवं सैनिक की विधवाओं हेतु
(आय प्रमाण-पत्र के लिए मान्य नहीं होगा)**

प्रमाणित किया जाता है कि

(रैंक) (नाम)

(नम्बर)

- (अ) यह वर्तमान में भारतीय थल/जल/वायु सेना/सीमा सुरक्षा बल/केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल/सी.आई.एस.एफ. में कार्यरत हैं। इनकी मासिक आय रूपये प्रतिमाह हैं।
- (ब) ये सशस्त्र सेनाओं/सुरक्षा बलों से सेवानिवृत्त हुए हैं तथा सेवानिवृत्ति के समय इनकी मासिक आय रूपये प्रतिमाह थी।
- (स) इनकी मृत्यु सेवा में रहते हुए हो गयी थी। इनकी विधवा श्रीमती/सुश्री है। इनके पति की मृत्यु के समय मासिक आय रू० प्रतिमाह थी। इन्होंने अभी तक पुनर्विवाह नहीं किया है।

कमान्डिंग ऑफिसर/

सक्षम अधिकारी/सचिव,

सैनिक बोर्ड के हस्ताक्षर मय मोहर

स्थान :

दिनांक :

उक्त निर्धारित प्रमाण पत्र सम्बन्धित कार्यालय से जारी करने का संदर्भ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति

शपथ पत्र

सैनिक (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल है।)
कोटे हेतु आरक्षित फ्लैटो हेतु परिवार के किसी सदस्य द्वारा आवेदन हेतु।

मैंपुत्र/पत्नि/पुत्री
आयु..... निवासी

- शपथ पूर्व घोषणा करता/करती हूँ, कि
- (1) यह कि उक्त आवासीय योजना में सैनिक कोटे से आरक्षित फ्लैट हेतु एक मात्र मैं ही आवेदन कर रहा हूँ। परिवार के किसी अन्य सदस्य ने उक्त आरक्षित कोटे से भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन नहीं किया है।
- (2) यह कि मेरे पिता/पति/पत्नि सैनिक थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। उनके आधार पर आरक्षित कोटे से मेरे अतिरिक्त परिवार के किसी भी सदस्य ने आरक्षित कोटे में फ्लैट आवंटन हेतु आवेदन नहीं किया है तथा न ही मेरे स्व० पिता/पति/पत्नि श्री/श्रीमती/.....
..... ने एवम् हमारे परिवार के किसी सदस्य ने सैनिक कोटे में आज तक आरक्षित भूखण्डों/फ्लैटो में से कोई भूखण्ड/फ्लैट आवंटित कराया है।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

घोषणा

मैं पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री

शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ, कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर मेरे विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता(IPC)अनुसार संबन्धित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

शपथ पत्र

सैनिक (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल है।)
कोटे हेतु आरक्षित फ्लैटों हेतु परिवार के किसी सदस्य द्वारा आवेदन करने पर,
सैनिक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र।

मैंपुत्र/पत्नी/पुत्री

आयु..... निवासी

..... शपथ पूर्व घोषणा करता/करती हूँ कि

- (1) यह कि मैं सैनिक कोटे से आरक्षित भूखण्डों/फ्लैटों के आवंटन की पात्रता रखता हूँ।
- (2) यह कि उक्त आवासीय योजना में सैनिक कोटे से आरक्षित भूखण्ड/फ्लैट आवंटन हेतु मेरे द्वारा कोई आवेदन/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- (3) यह कि उक्त श्रेणी में आरक्षित भूखण्डों/फ्लैटों हेतु उसके परिवार के सदस्यों के रूप में मेरी/मेरा पत्नी/पुत्र/पुत्री/पति श्री/श्रीमती/कुमारी द्वारा भूखण्ड/फ्लैट आवंटन हेतु आवेदन पत्र/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। उसे ही मेरी ओर से प्रस्तुत /प्रार्थना पत्र के रूप में स्वीकार किया जावे।
- (4) यह कि मुझे व मेरे परिवार को सैनिक कोटे में आरक्षित श्रेणी में रियायती दर पर आज तक कोई भूखण्ड/फ्लैट आवंटित नहीं किया गया है।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

घोषणा

मैं पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री

शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर मेरे विरुद्ध **भारतीय दण्ड संहिता(IPC)** अनुसार संबन्धित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

विकलांग प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री
पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री निवासी.....
..... की मेरे द्वारा चिकित्सकीय जांच की गयी तथा ये
शारीरिक रूप से अपंग हैं।

स्थान : प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी
दिनांक : के हस्ताक्षर मय मोहर

उक्त निर्धारित प्रमाण पत्र सम्बन्धित कार्यालय से जारी करने का संदर्भ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति

अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री
पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री निवासी.....
.....तहसील जिला
..... अधिस्वीकृत पत्रकार है।

स्थान : निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क/प्राधिकृत
दिनांक : अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

उक्त निर्धारित प्रमाण पत्र सम्बन्धित कार्यालय से जारी करने का संदर्भ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति